न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मनभरी देवी बनाम भूमिधारी/तहसीलदार पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र — प्र.न.- 40/2020	
	हुई। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीयागण एक पक्षीय सुनी गई। कस्ते आदेश/निर्णय पत्रावली दिनांक 19-3-2021 को पेश हो।	
19.03.2021	पत्रावली आज निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीयागण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीयागण एक पक्षीय पूर्व में सुंनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीयागण ने प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीयागण के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3352, 3353, 3354 कुल किता 3 कुल रकबा 2.4000 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 3356 रकबा 0.4100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीयागण एंव प्रार्थीया संख्या 1 के पति स्व. भगवाना उर्फ भगवानसहाय पुत्र भेभाराम उर्फ पेमला के नाम दर्ज है एंव प्रार्थीयागण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीयागण ने अपनी उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 15.12.2020 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का नाथूसर के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। मौके पर वर्तमान समय में भूमियॉ खाली पडी है। मौके पर कोई फसल काश्त नहीं की हुई है तथा ना ही मौके पर कोई [illegible] नहीं है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि [illegible] रिपोर्ट दिनांक 15.12.2020 के अनुसार [illegible] का निवेदन किया है। वकील प्रार्थीयागण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.03.24 18:04:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मनभरी देवी वगै0 बनाम् भूमिधारी तहसीलदार प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी, मुकदमा 40/2020 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझाता हूँ। वकील प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का नाथूसर द्वारा दिनांक 15.12.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 3352, 3353, 3354 कुल किता 3 कुल रकबा 2.4000 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 3356 रकबा 0.4100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ. निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का नाथूसर द्वारा दिनांक 15.12.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Laxmi Kant Gupta Date: 2021.03.24 13:04:25 IST Reason: SelfAttested (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 19.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	